# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 894/2014/सीकर.**

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, संभाग द्वितीय, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राधिका एन्टरप्राइजेज, मण्डा रोड,
खाटूश्याम जी, सीकर. .....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**
**श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

**दिनांक : 19.09.2017**

## निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 322/अ.प्रा–III/आरवीएटी/जयपुर/12–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 02.01.2004 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 17.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 09.12.2012 को वाहन संख्या आर.जे.14/जीए–9547 को शाहपुरा में चैक किया गया। माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा इस वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल व बिल्टियां प्रस्तुत की गयी। सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल को निरूद्ध किया जाकर कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.12.2012 जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए बिल बुक प्रस्तुत की। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिल बुक में लगी बिल की कार्बन कॉपी नहीं मानकर पश्चातवर्ती सोच मानते हुए प्रस्तुत बिल को बोगस करार दिया। सक्षम अधिकारी ने प्रत्यर्थी के जवाब को मिथ्या एवं पश्चातवर्ती सोच का परिणाम अवधारित करते हुए अस्वीकार किया तथा वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आदेश दिनांक 17.12.2012 पारित करते हुए शास्ति रूपये 1,45,800/– का आरोपण किया।

लगातार.....2

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.01.2014 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश अविधिक एवं प्रकरण के तथ्यों के विपरीत होने के कारण अपास्तनीय है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. एकपक्षीय बहस सुनी गई, रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त जांच प्रस्तुत दस्तावेजों को अन्यथा करार देते हुये करापवंचन की नियत से शास्ति आरोपित की है। वक्त सत्यापन पेश बिल बुक की प्रति में भी यथावत विवरण अंकित है। केवल कार्बन प्रतिलिपि हूबहू न मानकर मामूली लिखावट के आधार पर शास्ति का आरोपण किया गया है। प्रेषक व प्रेषिति फर्म दोनों पंजीकृत है और परिवहनित माल के बिल अनुसार 5 प्रतिशत वैट संग्रहित राशि की गई है तो इसे वैट का करापवंचन नहीं माना जा सकता। उक्त विवेचना एवं तथ्यात्मक तथा विधिक स्थिति के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि प्रकट नहीं होती है। अतः अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं होने से राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

( मदन लाल मालवीय )
सदस्य